न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 200/2006

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 बलदेवाराम पुत्र हीराराम जाति चमार निवासी गोडिया बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजली स्त्री रेखाराम जाति चमार निवासी ताजसर जो अपने आपको हीराराम की बेवाह बताती है।
2 रामेश्वरी तथाकथित पुत्री हीराराम स्त्री ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाल हनुमानगढ़।
3 इन्द्रा तथाकथित पुत्री हीराराम जाति चमार निवासी गोडिया बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
4 भगवानी पुत्री हीराराम पत्नी गणपतराम जाति चमार निवासी हाल तोजास जिला चूरू।
5 नानू देवी पुत्री हीराराम पत्नी इन्द्राराम जाति चमार निवासी गोविन्दपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
6 अतिरिक्त तहसीलदार उप पंजियक रामगढ़।
7 बाबुलाल पुत्र बलदेवाराम।
8 रामस्वरूप पुत्र बलेदेवाराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी बलदेवाराम जाति चमार निवासी गोडिया बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.06
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर बस्लिसिले
मुकदमा उनवानी राजली आदि बनाम बलदेवाराम
आदि मुकदमा नम्बर 132/1998 दावा उदघोषणा
व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गंगाधर भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 132/1998 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के खाते काश्त की भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 3.12 हैक्टेयर वाके ग्राम गोड़िया बड़ा वर्गभूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 2.8454 हैक्टेयर वाके ग्राम साझासर तहसील फतेहपुर स्थित है, जिनसे रेस्पोडेंट नम्बर 01 लगायत 03 का कोई सम्बन्ध व वास्ता न होते हुए व उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही होते हुए भी उन्होने विवादित खाराजियात को अपनी पैतृक भूमि बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड फतेहपुर में दावा उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जिसका अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों से इनकार का जवाब दावा प्रस्तुत किया व काउण्टर क्लैम प्रस्तुत किया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर वाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2006 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 से लगायत

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

03 का दावा विरूद्व कानून डिक्री कर दिया, अतः उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2006 के विरूद्व अपीलांट की और से अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 का विवादित आराजियात से कोई सम्बंध व वास्ता न होते हुए मृतक हीरा के वारिसान नहीं होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी मर्जी मुताबिक उन्हे हीराराम मृतक के वारिसान मानकर उनका दावा डिक्री करने में गलती की है। रेस्पोडेंट संख्या 01 राजली एक व्यक्ति रेखाराम जाति बलाई निवासी ताजसर के नाते चली गयी व उसी के साथ रखने लग गयी। विवादित आराजियात का अपीलांट अकेला रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है तथा अपीलांट अकेला बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है, रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 05 का विवादित भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है और न रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 ने कब्जे, बाबत कोई इस्तदुआ की है, कब्जे के अभाव में रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 का दावा कानूनन चलने योग्य नहीं होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 का दावा डिक्री करने में गलती की है। विवादित आराजियात का भूमिधारी जरूरी पक्षकार होते हुए भी रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 ने अपने दावे में भूमिधारी तहसीलदार फतेहपुर को पक्षकार नही बनाया है, अतः जरूरी पक्षकार के अभाव में रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 वादीगण का दावा खारिज किए जाने योग्य होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उसके विरूद्व कानून डिक्री करने में गलती की है। अपील स्वीकार कर काउन्टर क्लेम डिक्री की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचरण न्यायालय ने पक्षकारों की साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलांट की अपील सारहीन है अपील खारिज की जावे।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में कुल 6 तनकीयात कायम की है। यद्यपि विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का अलग–अलग निर्णय पारित किया है किन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं गवाह बयान का कोई भी विवेचन अपने निर्णय में नही किया है। केवल सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, राजस्व रिकार्ड का तनकीवार विवेचन करना आवश्यक होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य, राजस्व रिकार्ड का तनकीवार विवेचन कर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें उभयपक्ष दिनांक 14.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर